कार्यालय प्राचार्य

शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय
कालीबाड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.)
Website - www.dbgirls.org, Email - dbgirls@yahoo.co.in | dbgirlspgraipur@gmail

क्रमांक 2277/स्था.शा./2026/ रायपुर दिनांक 4/11/2026

परिशिष्ट 1

अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन

शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में संगीत विषय में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 13/11/2026 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

विषय / पदों का विवरण:–

कमांक	विषय	प्राध्यापक / सहा.प्राध्यापक
1.	संगीत	01
कुल पद –		01

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी ।

04.11.26

(डॉ. एम.एल. वर्मा)
प्राचार्य
शासकीय दू.ब. महिला स्नात. महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

Principal
Govt. D. B. Girl's P. G. College
Raipur (Chhattisgarh)

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक ESTB-2035/637/2026–RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर, दिनांक 18/08/2026 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक ESTB-1027/1216/2025/38–1, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/08/2026 के अनुसार (संस्थान का नाम शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, रायपुर) में संगीत विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 13/11/2026 को सांय 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीडा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि व्याख्याता के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु –1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमा – अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक । अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक ।
4. शर्तें :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण–पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल/पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 13/11/2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन

अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे द्य भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनालाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा ।

3. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 17/11/2025 को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा ।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 19/11/2026 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 20/11/2026 को किया जावेगा जिसका अवलेकन विश्वविद्यालय/महाविद्यलाय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा ।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभयर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

5. मानदेय :–

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नुसार होगा :–

- अतिथि व्याख्याता के अंतर्गत मानदेय – 2000/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/–)
- अतिथि ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी – 1600/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40,000/–)
- अतिथि शिक्षण सहायक – 1400/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/–)
- अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ा सहायक – 1200/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 30,000/–)

6. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय दू.ब. महिला स्नातको महाविद्यालय रायपुर एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रुप से लिखे ।
7. इस महाविद्यालय के तहत् व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन /महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे ।
8. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी ।
9. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

10. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मुल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

11. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

01.11.26

(डॉ. एम.एल. वर्मा)
प्राचार्य
शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
झुन्झुनु (राज.)

PRINCIPAL